



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09122022-240931  
CG-DL-E-09122022-240931

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 4  
PART II—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 21]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 9, 2022/अग्रहायण 18, 1944

No. 21]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 9, 2022/AGRAHAYANA 18, 1944

रक्षा मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 2022

का.नि.आ. 22(अ).—केन्द्रीय सरकार, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग II, खंड 4 में, तारीख 01 दिसम्बर, 2022 में प्रकाशित अधिसूचना सं.का.नि.आ. 20 (अ) तारीख 01 दिसम्बर, 2022, जिसमें कतिपय छावनी बोर्डों में फेरफार की घोषणा अंतर्विष्ट थी, के साथ पठित छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 13 की उप-धारा (3) के अनुसरण में, नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट कतिपय छावनी बोर्ड, जिसमें उस सारणी के स्तम्भ (3) में उपदर्शित सदस्य भी सम्मिलित हैं, के गठन को सारणी स्तंभ (4) में उपदर्शित तारीख से अधिसूचित करती है-

सारणी

क्रम संख्या	छावनी बोर्ड का नाम	उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (2) के खंड (क), (ख) और (ग) के अधीन छावनी बोर्ड का गठन करने वाले सदस्यों का नाम/पदनाम	फेरफार की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)
1	बदामीबाग	(क) स्टेशन के कमान अफसर (ख) मुख्य अधिशासी अधिकारी (ग) श्री इम्तियाज़ अहमद राथर	03.12.2022

2	जम्मू	(क) स्टेशन के कमान अफसर (ख) मुख्य अधिशासी अधिकारी (ग) श्री भारत भूषण	03.12.2022
3	रामगढ़	(क) स्टेशन के कमान अफसर (ख) मुख्य अधिशासी अधिकारी (ग) श्रीमती कीर्ति गौरव	03.12.2022
4	मेरठ	(क) स्टेशन के कमान अफसर (ख) मुख्य अधिशासी अधिकारी (ग) श्री सतीश चन्द्र शर्मा	13.01.2023

[फा. सं. 14(8)/2019-डी(क्यू एवं सी)/वॉल-I]

राकेश मित्तल, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF DEFENCE****NOTIFICATION**

New Delhi, the 2nd December, 2022

**S.R.O. 22(E).**—In pursuance of sub-section (3) of section 13 of the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006) read with the notification of the Government of India in the Ministry of Defence S.R.O. 20 (E), dated the 01<sup>st</sup> December, 2022, published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 4, dated the 01<sup>st</sup> December, 2022 containing the declaration varying certain Cantonment Boards, the Central Government hereby notifies the constitution of the Cantonment Boards specified in column (2) of the Table given below consisting of members indicated in column (3) thereof, with effect from the date mentioned in column (4) thereof:

**TABLE**

Serial Number	Name of Cantonment Board	Name/Designation of the members constituting the Cantonment Board under clauses (a), (b) and (c) of sub-section (2) of section 13 of the said Act.	Vary with effect from
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Badamibagh	(a) the Officer Commanding the Station (b) the Chief Executive Officer (c) Shri Imtiyaz Ahmad Rather	03.12.2022
2	Jammu	(a) the Officer Commanding the Station (b) the Chief Executive Officer (c) Shri Bharat Bhushan	03.12.2022
3	Ramgarh	(a) the Officer Commanding the Station (b) the Chief Executive Officer (c) Mrs Keerty Gaurav	03.12.2022
4	Meerut	(a) the Officer Commanding the Station (b) the Chief Executive Officer (c) Shri Satish Chandra Sharma	13.01.2023

[F. No. 14(8)/2019-D(Q&amp;C)/Vol-I]

RAKESH MITTAL, Jt. Secy.

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 2022

**का.नि.आ. 23 (अ).**—केन्द्रीय सरकार, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग II, खंड 4 में, तारीख 01 दिसम्बर, 2022 में प्रकाशित अधिसूचना सं.का.नि.आ. 21 (अ) तारीख 01 दिसम्बर, 2022, जिसमें खासयोल छावनी बोर्ड में फेरफार की घोषणा अंतर्विष्ट थी, के साथ पठित छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 13 की उप-धारा (3) के अनुसरण में, नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट छावनी बोर्ड, जिसमें उस सारणी के स्तम्भ (3) में उपदर्शित सदस्य भी सम्मिलित है, के गठन को सारणी स्तंभ (4) में उपदर्शित तारीख से अधिसूचित करती है-

**सारणी**

क्रम संख्या	छावनी बोर्ड का नाम	उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (2) के खंड (क), (ख) और (ग) के अधीन छावनी बोर्ड का गठन करने वाले सदस्य का नाम/पदनाम	फेरफार की तारीख
1	खासयोल	(क) स्टेशन के कमान अफसर (ख) मुख्य अधिशासी अधिकारी (ग) श्री मनोहर लाल शर्मा	06.12.2022

[फा. सं. 14(8)/2019-डी(क्यू एवं सी)/वॉल-I]

राकेश मित्तल, संयुक्त सचिव

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 2nd December, 2022

**S.R.O. 23 (E).**—In pursuance of sub-section (3) of section 13 of the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006) read with the notification of the Government of India in the Ministry of Defence S.R.O. 21 (E), dated the 01<sup>st</sup> December, 2022, published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 4, dated the 01<sup>st</sup> December, 2022 containing the declaration varying the Khasyol Cantonment Board, the Central Government hereby notifies the constitution of the Cantonment Board specified in column (2) of the Table given below consisting of members indicated in column (3) thereof, with effect from the date as mentioned in column (4) thereof:

**TABLE**

Serial Number	Name of Cantonment Board	Name/Designation of the members constituting the Cantonment Board under clauses (a), (b) and (c) of sub-section (2) of section 13 of the said Act.	Vary with effect from
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Khasyol	(a) the Officer Commanding the Station (b) the Chief Executive Officer (c) Shri Manohar Lal Sharma	06.12.2022

[F. No. 14(8)/2019-D(Q&amp;C)/Vol-I]

RAKESH MITTAL, Jt. Secy.